हरबंश सिंह बनाम सरकार

म

मुकदमा अन्तर्गत धारा 136 LR Act चक 4 F बड़ी

किस्म मुकदमा मु. माल 54/2018 प.ह. कोनी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख मे जारी हुआ
13/3/18	यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री हरबंश सिंह एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना– पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 27/3/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर	नोट
27-3-18	वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजस्व कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-5-18 को पेश हो।	
22.5.18	वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजस्व अभि. मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-6-18 को पेश हो।	
08.06.2018	प्रार्थी उपस्थित नहीं प्रार्थी को आवाज लगवाई गई परन्तु प्रार्थी उपस्थित नहीं आने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा चक 5 पी बड़ी व चक 4 एफ के राजस्व अभिलेख में नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न जिस खाते में नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है उस खाते का अपनें प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है तथा ना ही वर्तमान राजस्व अभिलेख की प्रति तथा राजस्व अभिलेख में नाम किस प्रकार गल्त हुआ के सम्बंध में कोई उल्लेख/दस्तावेज पेश नहीं किये जानें के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाये जानें के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिंनाक 08.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोनी में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया। (यशपाल आहूजा) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर	